

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या  
660/2020

रजू दिनांक  
29.10.2020

पर्चा डिक्री दिनांक  
27.03.2023

// उनवान //

- 1 बदलू पुत्र मंगलिया (फौत)
- 1/1- शान्ती देवी (हजफ)
- 1/2- विक्रम सिंह
- 1/3- रोहिताश
- 1/4- रामफल पुत्रान बदलू
- 1/5-बीरमती
- 1/6-बिमला
- 1/7- कमला पुत्रीयान बदलू जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

:- वादीगण

बनाम

- 1 रिशाल सिंह पुत्र पालिया (फौत)
  - 1/1- फूलो देवी बेवा रिशाल सिंह
  - 1/2- राजेन्द्र पुत्र रिशाल सिंह
  - 1/3- विजेन्द्र पुत्र रिशाल सिंह
  - 1/4- कबूल पुत्र रिशाल सिंह
  - 1/5- पुष्पेन्द्र पुत्र रिशाल सिंह जाति जाट नि0 बडली तह0 मुण्डावर
- 1 सुरेन्द्र पुत्र पालिया जाति जाट
  - 2 अजीत पुत्र जगदीश जाति जाट
  - 3 श्यामवीर पुत्र जगदीश जाति जाट
  - 4 बीरमती बेवा जगदीश जाति जाट
  - 5 रामसिंह पुत्र मूलचन्द जाति जाट नि0 बडली तह0 मुण्डावर- अलवर
  - 6 श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय, मुण्डावर अलवर
  - 7 मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा ततारपुर तह0 मुण्डावर

:- प्रतिवादीगण

दावा - इश्तकरारहक दूरुस्ती इन्द्राज  
वो हु0ई0दवामी।


:- पर्चा डिक्री :-

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री गंगाराम पटेल एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुरेश चन्द सादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.03.2023 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-  
ख0नं0 128 मि0 रकबा 17 बिस्वा, 129 रकबा 9 बिस्वा, 130 रकबा 9 बिस्वा, 131 रकबा 10 बिस्वा, 132 रकबा 9 बिस्वा, 177 रकबा 3 बिस्वा, 178 रकबा 10 बिस्वा, 180 रकबा 13

बिस्वा, 181 रकबा 11 बिस्वा, 182 रकबा 11 बिस्वा, 183 रकबा 10 बिस्वा, 184 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 185 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 127 रकबा 14 बिस्वा जिसके मुताबिक जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) के अनुसार हाल ख0नं0 243/0.01, 244/0.12, 166/0.18, 167/0.12, 168/0.12, 169/0.12, 170/0.13, 171/0.11, 238/0.09, 242/0.04, 241/0.31, 246/0.16, 247/0.14, 248/0.14, 249/0.13, 250/0.27 है0 वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान के बाबत के 1/4 हिस्से के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवं राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार विवादित आराजीयात के 1/8 भाग का वादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादीगण के उक्त 1/8 भाग की हद तक प्रतिवादी सं0 2 सुरेन्द्र पुत्र पालिया द्वारा गलत इन्तकाल के आधार पर दिनांक 03.06.1987 को प्रतिवादी सं0 3 ल0 5 के मृतक पिता जगदीश व प्रतिवादी सं0 6 रामसिंह के नाम कराये गये बैयनामे को शून्य घोषित किया जाता है तथा उक्त बैयनामे के आधार पर हाल राजस्व रिकॉर्ड में क्रेता प्रतिवादीगण सं0 3 ल0 6 के नाम के हो रहे अंकन को एवं प्रतिवादी सं0 1, 2 रिशालसिंह व सुरेन्द्र पुत्रान पालिया के नाम के हो रहे अंकन को वादीगण के उक्त 1/8 हिस्से आराजी की हद तक हजफ किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन की स्थिति में उक्तानुसार उभयपक्षकारान को मिलने वाले हिस्से रकबे आराजी से एवं अन्य आराजीयात से बैंक ऋण राशी वसूलनीए रहेगी।

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 27.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
27-03-2023

(पंकज बडगूजर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा. 100)

मुण्डावर अलवर, राज0